संख्या-276/2026/2106/22-2-2025-17(894)/2021

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 20 मार्च,2026

विषय :- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री रामचरन, जनपद-बिजनौर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-37920/प्रो0अनु0(2)-305/2025/(बैठक दिनांक-23.09.2025) दिनांक-30-09-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री रामचरन, जो ग्राम-अग्गा खेड़ी, थाना-मण्डावर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। दिनांक 19.11.2000 को अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिये अपहरण कर तमन्चे से गोली मारकर विवेक उर्फ विक्की नामक लड़के की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस० टी० नं0- 224/2002, भा0द0वि0 की धारा- 364/34, 302/34, (आजीवन कारावास) एवं 201 में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-1, बिजनौर के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17.07.2023 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 17.09.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 10 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 01 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 17.09.2025 तक बंदी की आयु 53 वर्ष, 04 माह है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9(2) के प्राविधान के अनुरूप लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि (1) बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। (2) बंदी पुन: अपराध कर सकता है। (3) बन्दी पुनः अपराध करने में सशक्त है। (4) बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन है। (5) बंदी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या प्रेषित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक दिनांक 25.07.2025 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 19.11.2000 को अभियुक्त ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिये अपहरण कर तमन्चे से गोली मारकर विवेक उर्फ विक्की नामक लड़के की हत्या कर दी। मा० उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, आयु कम होने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने एवं जेल आचरण असतोषजनक होने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री रामचरन को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय (बन्दी संख्या-41718) पुत्र श्री रामचरन, जनपद-बिजनौर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-276/2026/2106(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।